receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, DAUSA
DAUSA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2005000642 Dated : 27/04/2005
Presenter Name : SHRI HARDEV SINGH (TH GPA) Face Value : 75000
Presenter Address : B-46 JANTA COLONY DAUSA JAIPUR
Document Type : SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
Claimant Name : GARMIAN SAHARA VIKAS SANSTHAN TH MEMBER (RAMKUMAR MEENA), B-8 J.P. COLONY TOK PHAKAT JAIPUR
Document S.No. : 2005000694 Stamp Value : 1000

Ordinary Registration Fee	: 5600	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 43800
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		
		TOTAL	: 49600

Amount Rs. Forty Nine Thousand Six Hundred only

Cashier

Sub Registrar, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

- 4 MAR 2005

श्रीरामजी

विक्रय-पत्र गैर मद 23 कानून स्टाम्प राजस्थान

मैं हरदेवसिंह उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री किशनसिंह जाति सिक्ख निवासी बी-66
जनता कालोनी जयपुर मुख्त्यारआम जगदीशसिंह पुत्र सज्जनसिंह, मानसिंह पुत्र
रतनसिंह, त्रिलोचनसिंह पुत्र रतनसिंह जाति सिक्ख निवासी दौसा तहसील
दौसा जिला दौसा का प्रथम विक्रेता हूं:-

\- प्रथम पक्ष विक्रेता

बहक

छवि ग्रामीण सहारा विकास संस्थान बी-8, जे.पी. कालोनी टोंक फाटक
जरिये सदस्य रामकुमार मीना पुत्र स्व0 श्री गिरधारीलाल मीना नि0 बी-8
जे.पी. कालोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर राज0

\- द्वितीय पक्ष क्रेता

जो ।आज रोज प्रचलित है । और मुझ विक्रेताको उक्त भूमि को रहन,बय करने के आज रोज पूर्ण अधिकार प्राप्त है । व अब मुझ विक्रेता द्वारा उक्त भूमि ख0नं0 1287 रकबा 1.01 हे0 मे से 0.20 हे0 भूमि का बेचान किया जा रहा है- जिसके मूंल्याकन तथ्य निम्न प्रकार है :-

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि नगरपालिका दौसा से करीब 5 कि0मी0 की दूरी पर व सडक जयपुर आगरा रोड से करीब 300 मीटर की दूरी पर व आबादी से करीब 3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

चूँकि विक्रेतागण को रूपयो की घरू कार्य के लिए आवश्यकता होने के कारण मैने उक्त वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 1287 रकबा 1.01 हे0 वाके कस्बा दौसा मैसे 0.20 हे0 भूमि को मय हल,बैल,डौल,पाल,पुला,पानी,वृक्ष,लता,पता के मोल माला कलाम मुबलिग 75,000/-रूपये अक्षरे पिच्हतर हजार रूपये मे क्रेता द्वितीय पक्ष ग्रामीण सहारा विकास संस्थान बी-8 जे.पी. कालोनी टोंक फाटक जरिये सदस्य रामकुमार मीना पुत्र स्व0 श्री गिरधारीलाल मीना नि0 बी-8 जे.पी. कालोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर राज0 को कतई विक्रय कर दिया- और विक्रय धन की राशि चुकती प्राप्त कर कब्जा कृषि भूमि का मौके पर क्रेती क्रेता को वास्तविक रूप से सम्हला दिया गया है ।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि आज रोज सब प्रकार से पाक व साफ है । तथा आज रोज इस पर किसी भी प्रकार का सरकारी व गैर सरकारी ऋण आदि नही ले रखा है । और न ही आज से पूर्व किसी अन्य को रहन,बय किया है ।सब प्रकार के झगडो व विवादो से पूर्ण रूप से मुक्त है ।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि का बातस्दीक क्रेता अपने नाम नामान्तकरण खुलवाये, राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम अमल दरामद करावे, किसी अन्य को रहन, बय करे, स्वयं काश्त करे, किसी अन्य से बट पर काश्त करावे, गल्ला हर किस्म से फायदा उठाये तो विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिवान मोजूदा, आईन्दा

उप पंजीयक, दौसा

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि स्वामित्व की त्रुटि या अन्य किसी के उज्र करने के कारण या किसी भी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी देय बकाया निकलने के कारण यदि क्रेता के कब्जे से निकल जाये तो क्रेता विक्रय धन की राशि चुकती मय ब्याज कानूनी एक मुश्त विक्रेतागण की चल व अचल सम्पत्ति से वसूल करने का हकदार होगा ।

अतः यह विक्रय-पत्र मैंने मेरी राजी खुशी होश हवास से बिना किसी नशे पते के व बिना किसी दाब व दबाव के स्टाम्प किमती 1000/- रुपये किता एक व दो पेपर कुल किता तीन पर तहरीर व तकमील करा दिया जो कि सनद रहे । वक्त जरूरत काम आवे । फकत दिनांक 26.4.05ई0

Drafted by [illegible]

ह0 साक्षी

ह0 विक्रेता

{जरिये मु0आम}

Mardeep Singh

1- [illegible]

(बाबूलाल S/o चन्द्रराम मीना नि0 [illegible] [illegible])

2- [illegible]

सतीशचन्द्र S/o श्री [illegible] राजपूत

नि0 [illegible]

उप पंजीयक, दौसा

आज दिनांक 27 माह April सन् 2005 को 16:43 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री SHRI HARDEV SINGH (TH GPA) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHRI KISHAN SINGH
उम्र 74 वर्ष, जाति SIKKH व्यवसाय BUSS.
निवासी B-46 JANTA COLONY DAUSA JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2005000694)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

रसीद नं0 2005000642 दिनांक 27/04/2005
पंजीयन शुल्क रू0 5600 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200 / –
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 0 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 43800 / –
कुल योग रू0 49600 / –

(2005000694)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))
उप पंजीयक, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-SHRI HARDEV SINGH (TH GPA)/SHRI KISHAN SINGH
Age:74, Caste-SIKKH
Ocu.-BUSS.
R/O-B-46 JANTA COLONY DAUSA JAIPUR

[redacted]

(And Claimant)
1-GARMIAN SAHARA VIKAS SANSTHAN TH MEMBER (RAMKUMAR MEENA)/LATE SHRI GIRDHARI LAL MEENA
Age:0, Caste-MEENA
Ocu.-BUSS.
R/O-B-8 J.P. COLONY TOK PHAKAT JAIPUR

[redacted]

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 75000 / – पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 75000 / –पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री SHRI BABU LAL MEENA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHRI CHANDARAM MEENA उम्र 51 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय BUSS.
निवासी CHHATIWALI DANI DAUSA

2. श्री / श्रीमती / सुश्री SHRI SATIDAN SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHRI KISHRO SINGH उम्र 45 वर्ष
जाति RAJPOOT व्यवसाय BUSS.
निवासी GUTPESHWAR ROAD DAUSA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, दौसा

(2005000694)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 560000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 43800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 5600 कुल रूपये 49600
जरिये रसीद संख्या 2005000642 दिनांक 27/04/2005
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 44800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

Office Sub Registrar D...

(2005000694) उप पंजीयक DAUSA उप पंजीयक, दौसा
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 27/04/2005 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 172
में पृष्ठ संख्या 98 क्रम संख्या 2005000500 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 240
के पृष्ठ संख्या 311 से 317 पर
चस्पा किया गया।

(2005000694) उप पंजीयक DAUSA उप पंजीयक, दौसा
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) दौसा जिला- दौसा

मु.नं. 01/2016 तारीख रजू.: 16/06/2016 निर्णय दिनांक: 18/07/2016

सरकार बनाम ग्रामीण सहारा विकास संस्थान ज़रिये सदस्य कैलाशी मीना

:: निर्णय :-

ग्रामीण सहारा विकास संस्थान, जयपुर जरिये सदस्य कैलाशी मीना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम दौसा कलां स्थित खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 1289/1 रकबा 0.20 है0 पर मकान निर्माण कर 90 क की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है। पटवारी हल्का दौसा कलां से रिपोर्ट ली गई पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा 90 क प्रपत्र में रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बरों पर कॉलेज बना हुआ है बाबत रिपोर्ट की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कैलाशी मीना उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2005, 18.07.2006 लोक सूचना दैनिक भास्कर दिनांक 02.07.2015 एवं नगर परिषद दौसा में जमा प्राप्ति रसीद राशि 32670 रु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 1289/1 रकबा 0.20 है0 का 90-ए की जाती है तो कमी बेशी शुल्क राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

संयुक्त शासन सचिव--द्वितीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-3(54)नविवि/3/2011 पार्ट, जयपुर दिनांक 23.07.2015 एवं संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.9(126)राज-6/2012/17 जयपुर, दिनांक 28.04.2016 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम दौसा कलां स्थित आराजी खातेदारी खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 1289/1 रकबा 0.20 है0 कुल किता-2 रकबा 0.30 है0 अर्थात 3000 वर्ग मीटर भूमि की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 90-ए की जाती है। पटवारी हल्का दौसा कलां राजस्व रिकार्ड में 90-ए का अमल दरामद करें।

प्राधिकृत अधिकारी
(तहसीलदार)
दौसा

सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार
दौसा

प्रार्थना-पत्र ... एवं दिनांक 25/7/16
... 2/8/16
दिनांक 2/8/16

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

प्रपत्र सं पी 26 (N)
(दाखय नियम 13)

खतौनी/ग्राम
जमाबन्दी [illegible] पटवार क्षेत्र [illegible] भू आभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 2072 से 2075

खेवट खतौनी सं. नई	पुरानी	मुहाल का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	167	[illegible]	[illegible] सरकार [illegible] जयपुर [illegible] जयपुर।	1282 / 1289	0-10 / 0-20	[illegible]/3 / [illegible]/3			2-23	[illegible]	नं.-म 1855 / 14/1/16 से माननीय [illegible] दौसा के [illegible] 10/12016 [illegible] 185 [illegible] 905 [illegible] आदेश से [illegible]					
			(योग)	2	0-30	[illegible]/1 0-20; [illegible]/3 0-10			2-23							

[illegible] 14/1/16

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, DAUSA
DAUSA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2006001238
Dated : 10/07/2006
Presenter Name : SHRI HARDEV SINGH (TH GPA)
Face Value : 10500
Presenter Address : B-46 JANTA COLONY JAIPUR
Document Type : SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
Claimant Name : GARMIAN SAHARA VIKASH SANSTHAN TH MEMBER (RAMKUMAR MEENA),
Document S.No. : 2006001600
Stamp Value : 200

Ordinary Registration Fee	: 6400	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 54200
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 60800

Amount Rs. Sixty Thousand Eight Hundred only

Cashier

Sub Registrar, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

भारतीय गैर न्यायि

पचास रुपये

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

874142

विक्रय पत्र गेर मद 23 कानून स्टाम्प राजस्थान

मै हरदेवसिंह उम्र 75 वर्ष पुत्र श्री किशनसिंह जाति सिक्ख निवासी बी-46, जनता कोलोनी जयपुर बहैसियत मुखत्यार आम जगदीशसिंह, पुत्र सज्जनसिंह, मानसिंह पुत्र रतनसिंह, त्रिलोचनसिंह पुत्र रतनसिंह जाति सिक्ख निवासी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राज0 के प्रण्कर्ता विक्रेता हूँ ।

-- विक्रेता प्रथमपक्ष

बहक

ग्रामीण सहारा विकास संस्थान बी-8, जे. पी. कोलोनी टोंक फाटक, जयपुर जरिऐ सदस्य रामकुमार मीना पुत्र स्व0 श्री गिरधारीलाल मीना निवासी बी-8, जे. पी. कोलोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर राज0।

-- क्रेता द्वितीयपक्ष

जो कि वाके दौसा कलां तहसीलदौसा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि ख0न0 1289 रकबा 1.67 हे0बारानी स्थित है जिसको खातेदारी

उप पंजीयक, दौसा

क्रमशः-2

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

874143

राजस्थान RAJASTHAN

-2-

जमाबन्दी के कालम स0 4 में हरदेवसिंह पुत्र किशनसिंह 10बीघा, जगदीशसिंह पुत्र सज्जनसिंह, 10बीघा, मानसिंह पुत्र रतनसिंह 15 बीघा, त्रिलोचनसिंह पुत्र रतनसिंह 15 बीघा कोम सिक्ख सा0दौसा खातेदारदर्ज है। खातेदारान जगदीश सिंह पुत्र सज्जनसिंह, मानसिंह पुत्र रतनसिंह, त्रिलोचनसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति सिक्ख नि0 दौसा ने सह खातेदार हरदेवसिंहपुत्र किशनसिंह जातिसिक्ख निवासी बी-46.जनता कोलोनी जयपुर को अपना मुखत्यार आम नियुक्त कररखाहै व एक मुखत्यारनामा आम 12-4-2004 को पंजिबद्ध करा रखाहै । जो आज रोज प्रभावशील है व उक्त मुखत्यारनामा नियुक्त कर्तागण जीवित है। इसप्रकारउक्त कृषि भूमि पर आज रोज मुझ विक्रेता का कब्जा काश्त चला आरहाहै। उक्त कृषि भूमि पर आज रोज कब्जा काश्त होने के कारण सम्पूर्ण अधिकार रहन विक्रय के पूर्ण अधिकार मुझे प्राप्त है। मुझ विक्रेता ने उक्त कृषि भूमि ख0न0 [illegible] 67 हे0 मे से 0.20 हे0 भूमि का विक्रय किया जारहाहै। उक्त कृषि भूमि [illegible] पूर्व मुझ विक्रेता ने [illegible] नहीं कीहै। [illegible] कृषि भूमि के मूल्यांकन हेतु विक्रेता के बताये अनुसार निम्नहै :

क्रमश-3

उप पंजीयक, दौसा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN 874144

उक्त विक्रय कीजारही कृषि भूमि नगरपालिका दौसासे करीबन 5 कि0मी0 की दूरी पर व सडक जयपुर आगरा रोड से 300 मीटर कीदूरीपर व आबादी से 3 कि0मी0 की दूरीपर स्थितहै। किस्मनिर्धारणहेतु जमाबन्दी व मुखत्यारनामा आम की कोप्रति संलग्नहै।

चूंकि मुझ खातेदारान को रुपयो कीघरू आवश्यकता होने के कारण मुझ विक्रेता ने उक्त वर्णित ख0न0 1289 रकबा 1.67 हे0 वाके दौसा कला में से 0.20 हे0 भूमि को मय मुल बोलडोल पाल पालापूनी वृक्ष लता पता के मोल माला कयाम मुबलिक 1,05,000 /- रूपयेअक्षरे एक लाख पाच हजार रूपये मे क्रेता द्वितीयपक्ष ग्रामीण सहारा विकास संस्थान बी-8 जे.पी. कोलोनी टोंक फाटक जयपुर जरिये सदस्य रामकुमार मीना पुत्र स्व0श्री गिरधारीलाल मीना निवासी बी-8,जे.पी. कोलोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुरराज0 को कतई विक्रयकर विक्रय धन की कुलरकम 1,05,000 रूपयेअक्षरे एक लाख पाच हजाररूपये नकदचलणी के रोकड में मुझ विक्रेता ने क्रेता सेप्राप्त कर की परवास्तविक विक्रय कर दिया है।

उक्त विक्रय कीजारही कृषि भूमि पर आजरोज कोई सरकारी व गैरसरकारी ऋण व टेक्स बकाया नहीं है हरप्रकार के झगडे टन्टे से मुक्त है।

उप पंजीयक, दौसा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

13 JUL 2006

874145

-4-

उक्त विक्रय कीजारही कृषि भूमि पर क्रेता काबिज रहकर स्वयं काश्त करे, दोगर से काश्त करावे, कृषि भूमि कोउपजाऊ बनावे, चाह का निर्माण करावे, गल्ला हरकिस्म से फायदा उठावे तो मुझ विक्रेता को कोई आपत्ति व उज्रनही होगा।

उक्तविक्रय कीजारही कृषि भूमि का बाद तस्दीक विक्रय पत्र क्रेता अपने नाम नामान्तन्तकरण खुलाकरखातेदारी अपने नाम लेकरावे, पर्चा रसीद हासिल करे, गश्त गिरदावरी अपने नाम से करावे, पर्चा रसीद करे, रेवन्यु रिकार्ड सरकारी मे अपना नाम दर्ज करावे तो मुझ विक्रेता को कोई आपत्ति व उज्रनही होगा।

उक्तविक्रय कीजारही कृषि भूमि से आज के बाद मुझ विक्रेताका व मेरे वारीसान मौजुदा आयन्दा व कानूनी काकोई हक व उज्रनही होगा। आज के बादसम्पूर्ण अधिकारखातेदारी काश्तकारी व ट्रान्सफरी मेरे समान क्रेता को प्राप्तरहेंगे

उक्तविक्रय कीजारही कृषि भूमि स्वामित्व की त्रुटि के कारण व किसी के उज्र करने के कारण व किसीप्रकार कीदेण बकाया निकलने के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो क्रेता विक्रय पत्र कोचुकती रकम मयहर्जाखर्चा

उप पंजीयक, दौसा

क्रमश-5

मय कानूनी ब्याज मेरीचल व अचल सम्पति से वसूल करने कापूर्ण हक होगा।

उक्त विक्रय कीजारही कृषि भूमि के सम्पूर्ण तथ्य व विवरण मुझ विक्रेताने उक्त विक्रय पत्र मे अंकित करायेहै जिसकीसम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। उक्त विक्रय पत्र का अवलोकन व मुल्याकन सबरजिस्टार साहब फरमावे।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने अपने स्वस्थ चित से पूर्ण होशहवास बिना नशा पता व बिनाकिसी आग्रह व बिनाकिसी दवाब के स्टाम्प कीमती 200 रूपयेकिता चार स्टाम्प पेपर व पाईपेपरकिता एक कुल कितापाच पर टाईप कराकर पढकर पढाकरसुनकर समझकर सही होना स्वीकार करके गवाहान के समक्ष अपनी जिम्मेदारी पर अपने हस्ताक्षर करदिये। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। दिनांक 18-7-2006

ह0 विक्रेता

ह0तस्दीगण

(1)

(2)

(जरिये मुख्तयार आम)

उप पंजीयक, दौसा

Sub Registrar Dausa (Raj.)

आज दिनांक 18 माह July सन् 2006 को 16:25 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री SHRI HARDEV SINGH (TH GPA) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHRI KISHAN SINGH
उम्र 75 वर्ष, जाति SIKKHA व्यवसाय BUSS.
निवासी B-46 JANTA COLONY JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Hardev Singh

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2006001600)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

रसीद नं0 2006001238 दिनांक 18/07/2006
पंजीयन शुल्क रू0 6400 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200 / –
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 0 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 54200 / –
कुल योग रू0 60800 / –

(2006001600) उप पंजीयक
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

उप पंजीयक, दौसा

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-SHRI HARDEV SINGH (TH GPA)/SHRI KISHAN SINGH
Age:75, Caste-SIKKHA
Ocu.-BUSS.
R/O-B-46 JANTA COLONY JAIPUR

(And Claimant)
1-GARMIAN SAHARA VIKASH SANSTHAN TH. MEMBER (RAMKUMAR MEENA)/SHRI GIRDHARI LAL MEENA
Age:50, Caste-MEENA
Ocu.-BUSS.
R/O-B-8 J.P. COLONY TOK PHAKAT JAIPUR

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 105000/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 105000/–पूर्व में ——————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI NMO NARAYAN MEENA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI BADHERI NARAYAN MEENA उम्र 0 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय AGRI
निवासी 46 JANKPURI IAMLI PHATAK JAIPUR

2. श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI RADHESHAYAM MEENA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI KISHAN LAL MEENA उम्र 0 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय AGRI
निवासी NAGAL BAIRSI DUASA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2006001600)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

उप पंजीयक, DAUSA
उप पंजीयक, दौसा

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की मालियत रूपये 640000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि 54200 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 6400 कुल रूपये 60800 जरिये रसीद संख्या 2006001238 दिनांक 18/07/2006 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 41600 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2006001600) उप पंजीयक, DAUSA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))
उप पंजीयक, दौसा

आज दिनांक 18/07/2006 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 185 में पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 2006001142 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 294 के पृष्ठ संख्या 116 से 124 पर चस्पा किया गया।

(2006001600) उप पंजीयक, DAUSA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))
उप पंजीयक, दौसा

OM SHIV MAHILA TEACHER'S TRAINING COLLEGE

Tehsil : Dausa, Distt. : Dausa, Rajasthan - 303303 Ph. : 01427-203520 Mob. : 9414245917

Ref. No. OSMTTC/Dausa/90B/2008-09/D 415

Date 04-03-2009

श्रीमान उपजिलाधीश महोदय ,
दौसा.

विषय :– खसरा नं. 1287 रकबा 1.01 है0 एवं 1289 रकबा 1.67 है0 की भूमि में 90 बी करवाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर महोदय ,

उपरोक्त ,विषयान्तर्गत निवेदन कर लेख है कि संस्था द्वारा खसरा नं. 1287 रकबा 1.01 है0 एवं खसरा नं. 1289 रकबा–1.67 है0 भूमि को 90बी कराने बाबत नगर पालिका दौसा द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र भी उनके पत्र क्रमांक 1246 दिनांक 29.06.2006 के द्वारा आपको प्राप्त हो गई है। परन्तु अभी तक उक्त भूमि को 90बी के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। कृपया इस मामले में अवश्य ध्यान देकर 90बी करवाने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद!

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय
4/3/09
(आर.के.मीना)
निदेशक
DIRECTOR
OM SHIV MAHILA T. T. COLLEGE
DAUSA (RAJASTHAN)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा

कमांक : 1256 दिनांक : 29-6-06

श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय,

दौसा

जिला दौसा (राज0)

विषय :– भुमि खसरा न0 1287 रकबा 1.01 है0 कस्बा दौसा के सम्बन्ध में अनापत्ती प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत ।

प्रसंग : श्रीमान के पत्र कमांक भू. क. /2006/267 दिनांक 24.03.2007 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कस्बा दौसा में स्थित खसरा न. 1287 रकबा 1.01 है0 दौसा शहर के प्रारूप मास्टर प्लान दौसा 1991 – 2011 के अनुसार परिधी नियन्त्रण पट्टी में आता है । तथा मौके पर ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रगती पर है। यदि 90 बी की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ती नही है।

भवन सबुलता एवम् सुरक्षा प्रमाण-पत्र

ग्रामीण सहारा विकास संस्था द्वारा वर्ष 2005-06 में नव निर्मित भवन का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अप्रूव्ड नक्से (स्वीकृत मानचित्र) प्लान द्वारा भवन का निर्माण कार्य कराया गया है वर्तमान में बेसमेन्ट एवम् ग्राउण्ड फ्लोर पूर्णतया बन कर तैयार है। भवन मे आवश्यकता अनुसार आंगनीग आदि का ध्यान रखा गया है। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का निरीक्षण करने पर सही पाया गया है। अत इस भवन मे ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण का कार्य पिछले सत्र से शुरू किया जा चुका है। प्रकृति के सामान्य कर्म में यह भवन सुरक्षित प्रतीत होता है। (आ) यह प्रमाण-पत्र मेरे द्वारा जारी किया गया। (अ) दिनांक 02-04-2007 को निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी किया गया)।

(हस्ताक्षर) 02-04-20..
सहायक अभियन्ता
[illegible] मार्ग उपखण्ड [illegible]

...ों की जांच करते चिकित्सक।

...पुंडेरा में शनिवार को बांदीकुई में ...पुकि परिवार के संकल्प पत्र भरवाए ...त्रदान के लिए भी संकल्प पत्र ...रे। सोमवार को 'पहला सुख' सप्ताह के ...न्तिम दिन संभ्रान्त नागरिकों ने नेत्रदान ...कल्प पत्र भरे। इसमें लायन्स क्लब के ...डॉ. ... धाकड़ व डॉ. श्रीमती ...धु धाकड़ आदि भी शामिल हैं। वहीं तीन ...र्जन परिवारों के सदस्यों से नशामुक्ति के ...संकल्प पत्र भरवाए।

शर्मा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बने

महुवा, 4 फरवरी (नि.सं.)। अभिभाषक संघ, महवा के शनिवार को हुए चुनाव में पण्डित सत्यनारायण शर्मा 9 मतों से विजयी हुए। इस पर अभिभाषक संघ महवा ने माला पहनाकर नए अध्यक्ष का स्वागत किया। संघ के चुनाव प्रातः 10 बजे शुरु हुए। यह चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी गिरधरसिंह एडवोकेट, सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंह, मुबिन सैय्यद की उपस्थित में हुए। इसमें प्रत्याशी सत्यनारायण शर्मा के अभिकर्ता रतनचन्द एडवोकेट, ओमप्रकाश बेनीवाल का अभिकर्ता गोपाल सिंह को बनाया गया। कुल 67 मतों में से 61 मतों का प्रयोग हुआ। सत्यनारायण शर्मा को 35 तथा ओमप्रकाश बेनीवाल को 26 मत मिले। पूर्व अध्यक्ष भगवत सिंह एडवोकेट सहित अभिभाषक संघ ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया।

बंद मिले विद्यालय

सिकराय, 4 फरवरी (नि.सं.)। ब्लाक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान उपखण्ड के ग्राम अम्बाडी के रा.उच्च प्राथमिक विद्यालय व राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंगला ढाणी घूमणा में निरीक्षण के दौरान ताला लटका मिला।

बंद मिले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों सहित अध्यापकों को नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब आने तक सभी का वेतन रोकने के आदेश दिए।

वित्तराज्य मंत्री ने सुलझाया विवाद

लालसोट, 4 फरवरी (नि.सं.)। ईन्दावा ग्राम से पंण्डा का डेरा मार्ग पर सड़क बनाने को लेकर चल रहा विवाद वित्तराज्य मंत्री समझाइस से दूर कराया। भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शम्भूसिंह इन्दावा ने बताया कि उक्त ग्राम में रास्ते के मामले को लेकर गत तीन माह से ग्राम वासियों एवं भूमि के खातेदारों के बीच विवाद चल रहा था। कई बार लड़ाई-झगड़े की नौबत हो गई थी। वित्तराज्य मंत्री वीरेन्द्र मीणा ने दोनों पक्षों को समझाबुझाकर रास्ते का विवाद समाप्त कराया। सड़क मार्ग के लिए रास्ता निकलवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य रामप्रसाद मीणा, भाजपा नेता जगदीश प्रसाद जैली एवं ईन्दावा के ग्रामीण मौजूद थे।

पचास लाख रुपए स्वीकृत- खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा ने आपदा प्रबन्ध कोष से नगरपालिका मण्डल लालसोट को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह जानकारी पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नरसिंह प्रसाद बोहरा ने दी।

पुलिसकर्मी का मोबाइल चोरी

दौसा, 4 फरवरी (कार्या.)। थाना कोतवाली पर तैनात पुलिसकर्मी का मोबाइल चोरी हो गया। कांस्टेबल ... सैनी ने मामला दर्ज कराया कि कोई ... क्वार्टर से मोबाइल चोरी कर ले गया। विनोदकुमार निवासी महुवा ने रोडवेज बस स्टेण्ड पर बस में बैठते समय मोबाइल चोरी होने का मामला दर्ज कराया।

रोस्टर प्रणाली जारी - जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ... माह फरवरी व मार्च के लिए केरोसिन वितरण की रोस्टर जारी की गई। जिला रसद अधिकारी गजानन्द खींची ने बताया कि महुवा ब्लॉक में प्रति राशन कार्ड ... एवं अन्य चारों तहसीलों में 3 लीटर केरोसिन वितरित किया जायेगा।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड) अधिकारी
दौसा जिला दौसा

क्रमांक: न.पा. / दौसा /06/121 दिनांक 4.2.06

नोटिसः अन्तर्गत धारा 90 बी के तहत भूमि पुनर्ग्रहित करने हितधारी

प्रत्येक व्यक्ति को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि तहसीलदार दौसा ने अवगत कराया है कि नगर पालिका क्षेत्र दौसा के निम्नलिखित ग्रामों के निम्न खसरा नम्बरान को कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है।

1. कस्बा दौसा खसरा नम्बर 1287 (एक हजार दौ सौ सत्तासी)
2. ग्राम जोरोता खुर्द ख.नं. 268, 269 (दौ सौ अड़सठ, दो सौ उनेहत्तर)

उक्त नम्बरान के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये गये क्षेत्र का पुनर्ग्रहण किया जाना है। राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955की धारा 63 की उपधारा (1) के सब क्लाज (2) में दिये गये संशोधन के अनुसार कृषि भूमि को अकृषि कार्य में किसी प्रकार उपयोग (हस्तान्तरण) कर लिया है को ऐसी भूमि में खातेदारी हितबंद व्यक्तियों के अधिकारों एवं हित समाप्त किये जाकर भूमि राज्य सरकार के हक में पुनर्ग्रहण करने के प्रावधान है।

अतः प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र दौसा आपको जरिये नोटिस राज. में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत नोटिस सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने हेतु आगाह करता हूँ कि क्यों न आपके हित एवं अधिकार को राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा- 90 बी के तहत समाप्त कर भूमि राजकीय हित में पुनर्ग्रहण कर दी जावे। यदि इस सम्बन्ध में आपको अभिमत करना हो तो दिनांक 25.2.2006 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत होकर मय जवाब व सबूत प्रस्तुत करे। यदि उक्त दिवस को आप अनुपस्थित रहे तो यह मानते हुए कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एक तरफ कार्यवाही की जाकर उक्त भूमि राज्य हित में पुनर्ग्रहित की जाकर स्थानीय निकाय नगर पालिका दौसा के नाम दर्ज कर दी जावेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 04.2.2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड) दौसा

पृष्ठ 9 का शेष

...क्विण्टल 246.24 एवं दौसा को गेहूं 911.736 व चावल ...आवंटित किया था। यूं तो इस माह के कोटे को भारतीय खाद्य निगम बांदीकुई ...थम सप्ताह में उठाना चाहिए था। लेकिन विभागीय अधिकारी पोषाहार लेने ...। मजे की बात यह है कि बांदीकुई ब्लॉक शिक्षा विभाग ने मात्र 71.72 ...46 क्विण्टल चावल, सिकराय ब्लॉक शिक्षा विभाग ने 317.01 गेहूं व 100 125.75 गेहूं व 54.26 चावल, महवा ने 311.09 गेहूं व 108.07 चावल .24 क्विण्टल गेहूं व 195.70 क्विण्टल चावल ही उठाए। विभागीय ...री के अन्तिम दिन भी पूरा गेहूं व चावल नहीं उठाने से करीब 2 हजार ...व 1 हजार क्विण्टल चावल विद्यालयों को नहीं मिल पाया। इस सम्बन्ध में ...5 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश शर्मा, दौसा के अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ...ई के अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी रविकुमार शर्मा का कहना ...में पर्याप्त मात्रा में गेहूं व चावल के कट्टे भरे है। उन्होंने स्वीकार किया कि ...ढिलाई के कारण संग्रहण केन्द्रों से विद्यालयों में पोषाहार नहीं पहुंच पाता। ...को टाल गए कि जनवरी माह का पोषाहार फरवरी 2006 तक संग्रहण केन्द्रों ...तो फरवरी माह के पोषाहार का उपयोग कब होगा। गम्भीर बात यह है कि ...अधिकारी प्रति माह भारतीय खाद्य निगम से पोषाहार उठाते है तो संग्रहण ...

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति, दौसा

क्रमांक: 478-539 दिनांक: 27.1.06

आवश्यक सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति दौसा के चुनाव हेतु कृषक एवम् व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र की अस्थाई मतदाता सूची राजस्थान कृषि उपज विपणन ...